दिनांक 30.08.2017

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

60 से अधिक प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग बेचने वालों पर परिवाद दायर

भिलाईनगर/ नगर निगम भिलाई के द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग में समान बेचने वालों पर परिवाद दायर किया जा रहा है। बार–बार समझाईस, अर्थदण्ड, आदि वसुलने के बाद भी व्यापारी मान नहीं रहें हैं चोरी छिपे प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग में समान बेचते है। शासन के आदेशानुसार संबंधित विक्रेता के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया जाये जिसका निर्णय न्यायालय में होगा । निगम के उड़नदस्ता दल सतत् मॉनिटरिंग में सक्रिय है। व्यापारियों द्वारा चोरी छिपे प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग में समान बेचा जा रहा है जिसमें प्रमुख रुप से फल वाले, सब्जी वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले आदि है। क्रेता समान घर में रखकर प्लास्टिक रोड, नाली में डाल देता है जिससे बारिश में नाली जाम हो जा रही है जहॉ भी देखो प्लास्टिक का कचरा ही दिखाई पड़ता हैं।

बेचने वालों के साथ–साथ अब प्लास्टिक कैरीबैग में समान खरीदने वालों पर भी कार्यवाही हो सकती है। अपने घर से थैला लेकर चलें दुकानदार पर कैरीबैग से समान देने के लिए दबाव न बनायें।

महापौर देवेन्द्र यादव, आयुक्त के0एल0 चौहान ने व्यापारियों के साथ–साथ आम नागरिकों से भी अपील की है कि प्लास्टिक का इस्तमाल हानिकारक है यह हमारे पर्यावरण नदियों, तालाबों के साथ–साथ मानव जीवन पर बुरा असर डालता है। नगर को स्वच्छ बनाने में जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक अपना नगर स्वच्छ नहीं हो सकता, स्वच्छता एक जन आंदोलन बनें जिसमें घर की महिलाएं, पुरुष, बच्चे व्यापारी, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, सब मिलकर सहयोग करेंगे तभी अपना नगर स्वच्छता में नम्बर 01 कहलायेगा।

जनसम्पर्क अधिकारी